तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...
[signature] ललताबाई	राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प स्थान खीमच दिनांक 5/6/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प खीमच पर पेश हुई। वकील वारिया एवं वारियां उपस्थित है। विद्वान अधिवक्ता वारियां का कथन है, कि वारिया का नाम ललताबाई है, जिसे रिकार्ड में कलीबाई अंकित कर दिया गया है। सभी राजकीय दस्तावेजों में वारिया का नाम ललताबाई है। वादग्रस्त भूमि के बकाया सहखातेदार वाद पत्र की तलीक से सहमत है। इस बाबत इकबालिया जवाब भी प्रा० फा० किया जा चुका है। अतः वाद वारिया स्वीकार किया जाकर सहमति के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वारिया का नाम संशोधित किया जाकर कली के स्थान पर ललता दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। वारिया एवं वकील वारिया को सुना जाकर पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। ग्राम खीमच की भूमि ख.नं. 556 व 560 पर वारिया का नाम कली दर्ज है। ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रदर्श 3A. से 7A. में वारिया का नाम ललताबाई	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंकित है।	
	वारसान भूमि के बकाया सहखातेदारान द्वारा वाद वारियां स्वीकार किया जाकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया है।	
	प्रकरण के रुजायमुआ पर सम्यक विचार किया गया। सहमति की हद तक वाद-वारिया स्वीकार किया जाना उचित है।	
	अतः सहमति की हद तक वाद वारियां स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम खीमच की भूमि ख०नं० 556 एवं 560 पर वारियां का नाम क्रमशः कली पुत्री घांसी व काली पुत्री घांसी के स्थान पर ललताबाई पुत्री घांसी अंकित कर राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती का अमल किया जावे तदनुसार डिक्री जारी हो।	
	निर्णय आज दि० 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर राजस्व लोक अदालत कैम्प खीमच पर सुनाया।	
	ह० 4/6/2018 कृष्णगोपाल जोशन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Scanned by CamScanner